MR. SPEAKER : Shri M.P. Choubey, you may now withdraw.

(Shri M. P. Choubey then withdrew)

MR. SPEAKER : In view of the apologies tendered by Shri K. Padmanabhan, Deputy Commissioner of Police and Shri M. P. Choubey, Sub-Inspector of Police, of the State of Maharashtra, at the Bar of the House today, I suggest that the matter may be treated as closed.

HON. MEMBERS : Yes.

MR. SPEAKER : Papers to be laid. (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS *rose*--

SHRI S. K. SAMBANDHAN (Tiruttani) : Sir, may I know what happened to my motion of breach of privilege?

MR. SPEAKER : I have sent it to the Minister for comments. When I receive it, I shall let the House know about it.

श्री शिव चंद्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी के मुताल्लिक मेरा विशेषाधिकार का मामला था ....(**व्यवधान**)....

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत इम्पार्टेंट विषय को मेंशन करना चाहता हूं। वह यह है कि 7 दिसम्बर 1970 को जूट का स्ट्राइक होने जा रहा है। इस का नेशनल इम्पार्टेंस है। अभी तक स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई इम्पार्टेंस उसको नहीं दी है। मैंने कालिंग एटेंशन नोटिस भी दिया है। मैं चाहता हूं कि इस पर डिसकशन किया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। अभी तक इस मसले को सीरियसली नहीं लिया गया है। सात दिसम्बर को वैस्ट बंगाल में जूट की जनरल स्ट्राइक होने जा रही है। तमाम सैंट्रल आर्गेनाइजेशंज उस के साथ हैं तमाम पार्टियां इसके साथ हैं और स्ट्राइक के पक्ष में हैं। मैंने कालिंग एटेंशन भेजा है। मैं चाहता हूं कि इसको आप स्वीकार करें।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Only one submission I want to make. To-day is the third. On 5th and 6th we are not meeting. We are meeting only tomorrow and on the 7th the jute workers are going to stage a strike. The Minister for Labour and Employment is already holding negotiations and my submission is that as this has failed, I would request you to ask the Minister to make a statement tomorrow so that the strike can be averted. I would request you to kindly ask the Minister to do it.

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : इस सदन में 8 दिसम्बर 1967 को पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक एक कमेटी आन डिफैकशंज बनाई गई थी। उस कमेटी ने 7 जनवरी 1969 को अपनी रिपोर्ट दी। चूंकि यह एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और हर एक प्रदेश में आया राम गया राम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसके कारण राजनैतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है, इस लिये मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या पर इसी सत्र में विचार किया जाए और इस संबंध में कानून का मस्विदा इसी सत्र में पेश कर उसको पारित किया जाए।

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : प्रिवलेज का इस में कुछ है नहीं लेकिन आपने जो कुछ कहना हो दो तीन मिनिट में कह लिजिये।

श्री शिवचन्द्र झा : 17 नवम्बर को यहां पर टेक्सेशन लाज एमेंडमेंट विधेयक पर बहस हो रही थी। क्लाज बाई क्लाज उस वक्त सदन में वाद विवाद चल रहा था। सदन की तरफ से तब तीन संशोधन मंजूर किए गये। इन में से दो संशोधन तो मेरे थे और तीसरा संशोधन श्री सालवे जी का था। उसके मुताल्लिक आकाशवाणी से 17 तारीख की रात को पौने नौ बजे हिन्दी में और नौ बजे अंग्रेजी में जो समाचार प्रसारित किये गये उन में उसको इस रूप में तोड़ा जिससे पता लगे की एक ही संशोधन हाउस में मंजूर किया गया और वह श्री साल्वे का था। आपके पास जो उत्तर इनफर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग के

महकमे से आया है उस में यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक संशोधन मंजूर किया सदन ने बल्की यह कहा गया है कि उस संशोधन पर विवाद हुआ और हो हल्ला हुआ। पत्रकार का यह एक तरीका है, डिसटार्ट करने का यह तरीका है कि उसको ऐसा रूप दिया जाए ताकि उसका जो नक्शा है वह ही दूसरा हो जाए। इस माप से और इस दृष्टिकोण से यह बिल्कुल साफ है कि सदन में जो 17 तारीख को कार्रवाई हुई और जो संशोधन कबूल किए गए, दो मेरे और एक श्री साल्वे का, उसको उसने तोड़ मरोड़ कर और उसकी कार्रवाई को मिसरिप्रिजेंट करने की आकाशवाणी ने कोशिश की और ऐसा करके उसने इस सदन की मर्यादा का भंग किया। इस वास्ते यह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने जाना चाहिये। जो जवाब आपके पास आया है वह बिल्कुल असन्तोषजनक है। न्यूज वैल्यू किस को कहते हैं ?

When a dog bites a man, that is not news, but when man bites the dog, that is news.

यह एक गम्भीर विषय है। हम गम्भीरता से किसी विषय को उठाएं और हो हल्ला न करें तब तो कोई न्यूज वैल्यू नहीं और अगर हो हल्ला करें तो उसकी ज्यादा न्यूज वैल्यू हो जाती है। यह जरनलिज्म का तरीका है।

मैं चाहता हूं कि जो जवाब आपके पास आया है उस पर आप बहस का मौका दें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस मामले को आप प्रिवलेज कमेटी के सामने पेश करें जो पता लगाए कि क्या सदन की मर्यादा का भंग हुआ है या नहीं। इस तरह की कार्रवाई आकाशवाणी की तरफ से बराबर चलती रहती है। हम लोगों को इगनोर किया जाता है। खास खास लोगों को सामने रखने की कोशिश होती है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप उस कमेटी के सामने भेजें।

MR. SPEAKER : You cannot compel them. This is not a privilege.

MR. SPEAKER : I have studied it. It is not a question of privilege. But I can invite the attention of the Minister to that. Akashvani and even some papers, should be careful when proceedings of the House are broadcast.

श्री शिव चन्द्र झा : सुना नहीं कुछ।

MR. SPEAKER : I do not hold it in order. Shri Pant.

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT, 1970 AND PUNJAB STATE FACULTY OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEMS OF MEDICINE (RECONSTITUTION AND REORGANISATIONS) ORDER, 1970

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K.C. PANT) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1970 (President's Act No. 20 of 1970) published in Gazette of India dated the 30th November, 1970, under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1970. [*Placed in Library. See No. LT-4469/70.*]

(2) A copy of the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 3711 in Gazette of India dated the 10th November, 1970, under sub-section (5) of section 4 of the Inter-State Corporation Act, 1957. *Placed in Library. See No. LT-4470/70.*]